

प्रेस नोट

दिनांक 11.02.2021 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 09/2021 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित गुमशुदा बालक को नाटी इमली हनुमान मन्दिर के पास से बरामद किया गया। बरामद गुमशुदा को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 मो0 सूफियान खाँ प्रभारी मिशन शक्ति टीम, उ0नि0 सूरजकान्त पाण्डेय प्रभारी एण्टीरोमियो टीम, का0 गौतम प्रसाद, म0का0 पूनम, म0का0 उर्मिला यादव व म0का0 रेखा थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 12.02.2021 को थाना लोहता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मस्तान बाबा तिराहे के पास से अवैध गाँजा बेचते हुए शमीम उर्फ बाबा पुत्र स्व० सलीम निवासी रहीमपुर लोहता थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1.300 किलोग्राम अवैध गाँजा व रू० 260/- नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा 0044/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- शमीम उर्फ बाबा पुत्र स्व० सलीम निवासी रहीमपुर लोहता थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- अवैध गाँजा 1.300 किलोग्राम व रू० 260/- नगद

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ०नि० राजेश सिंह, उ०नि० सुशील कुमार पाण्डेय, का० देवी लाल गौरव व का० शंकर राम थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 12.02.2021 को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर खुलासपुर प्राइमरी स्कूल के पास से अवैध गाँजा बेच रहे वीरेन्द्र पुत्र राजकिशोर निवासी बारीगाँव थाना औराई जनपद भदोही उम्र 25 वर्ष को समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 600 ग्राम अवैध गाँजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0084/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- वीरेन्द्र पुत्र राजकिशोर निवासी बारीगाँव थाना औराई जनपद भदोही उम्र 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- अवैध गाँजा 600 ग्राम

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 घनश्याम गुप्ता, उ0नि0 इन्दुकान्त पाण्डेय व का0 विकास वर्मा थाना रोहनियाँ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

वादी मुकदमा श्री गिरिजाशंकर पुत्र स्व0 विश्वनाथ प्रसाद निवासी बी 12/86 गौरीगंज थाना भेलूपुर वाराणसी के आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दिये गये आदेश के अनुपालन में दिनांक 06.02.2021 को थाना भेलूपुर में मु0अ0सं0 0069/2021 धारा 504/506/500/120बी भादवि व 67 आईटी एक्ट बनाम 1. विशाल गाजीपुरी उर्फ विशाल सिंह बादल पुत्र सुरेन्द्र राम निवासी विशुनपुरा नोनहरा गाजीपुर आदि 18 नफर पंजीकृत किया गया था। उक्त पंजीकृत अभियोग में विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर (1) गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, on behalf केनेथ होई वाई, नंबर 3, आरएमजेड इन्फिनिटी - टावर ई, ओल्ड मद्रास रोड, 4 वें और 5 वें फ्लोर, बंगलूरू, कर्नाटक (2) संजय कुमार गुप्ता, प्रबंधक गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नंबर 3, आरएमजेड इन्फिनिटी, टावर ई, ओल्ड मद्रास रोड, 4 वें और 5 वें फ्लोर, बंगलूरू, कर्नाटक (3) सुंदर पिचाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नंबर 3, आरएमजेड इन्फिनिटी - टावर ई, ओल्ड मद्रास रोड, 4 वें और 5 वें फ्लोर, बंगलूरू, कर्नाटक एवं (4) केनेथ होई वाई, डायरेक्टर, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नंबर 3, आरएमजेड इन्फिनिटी - टावर ई, ओल्ड मद्रास रोड, 4 वें और 5 वें फ्लोर बंगलूरू, कर्नाटक के विरूद्ध कोई पुष्टिकारक साक्ष्य न पाये जाने पर इनकी नामजदगी गलत की जाती है। शेष विवेचना प्रचलित है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर लुटेरे विकास जायसवाल व अमन कुमार गिरफ्तार, कब्जे से लूट की 01 अदद सोने की चेन समेत अन्य सामान बरामद

दिनांक 11.02.2021 को थाना भेलूपुर पुलिस को देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 03 शातिर लुटेरे कंकड़वाबीर बाबा विनायका के पास आने वाले है, यदि शीघ्रता करे तो पकड़े जा सकते है। उक्त सूचना पर थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर कंकड़वाबीर बाबा विनायका के पास से 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया जबकि 01 व्यक्ति अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर पहले ने अपना नाम विकास जायसवाल उर्फ पोनू पुत्र प्रमोद जायसवाल निवासी मकान नं0 एन 15/506 F-3 किरहिया जिवधीपुर थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी व दूसरे ने अपना नाम अमन कुमार भारती पुत्र दिनेश कुमार भारती निवासी म0नं0 बी 22/275 आर किरहिया खोजवा अखाड़ा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र 21 वर्ष बताया। भागे हुए व्यक्ति के विषय में पूछने पर उसका नाम महेन्द्र सेठ बताया। पकड़े गये अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद सोने की चेन, एक अदद मोबाईलफोन रेडमी वाई-3, एक अदद काले रंग का बैग व रू0 200/- नगद बरामद हुआ। उक्त पकड़े गये अभियुक्तगण (1) मु0अ0सं0 0520/2020 धारा 392/411 भादवि, (2) मु0अ0सं0 0081/2021 धारा 392/411 भादवि व (3) मु0अ0सं0 0056/2021 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित है, जुर्म का बोध कराते हुये समय करीब 23.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम तीनों एक साथ लूट करके आपस में हिस्सा बाँट लेते हैं। विकास जायसवाल ने बताया कि दिनांक 13.10.2020 को समय करीब 21.00 बजे विश्राम नगर कालोनी में एक महिला टहल रही थी, हम तीनों बाइक से गये (महेन्द्र बाइक चला रहा था, बीच में अमन बैठा था तथा मै पीछे बैठा था) तथा महिला का चेन छीनकर भाग गये, यह वही चेन है जो हमारे पास से बरामद हुई है। दिनांक 09.02.2021 को हम तीनों बाइक से कमच्छा होते हुए रथयात्रा की तरफ जा रहे थे कि बटुक भैरव मन्दिर मोड़ के पास एक व्यक्ति साईकिल से मोबाईल फोन से बात करता हुआ जा रहा था, जिसका मोबाईल छीनकर हम लोग भाग गये। हमारे पास से बरामद मोबाईल फोन वही फोन है। दिनांक 31.01.2021 को हम तीनों बाइक से बैज नत्था मोड़ होते हुए घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में बाइक पर एक पुरुष व महिला जाते दिखाई दिये, पीछे बैठी महिला के हाथ में एक बैग था जिसे छीनकर हमलोग भाग गये। उक्त बैग में एक लेडिज घड़ी, एटीएम कार्ड, आलमारी की चाभी व रू0 200/- नगद थे। उसमें से 100-100 रू0 हम दोनों ने ले लिए तथा बाकी सामान महेन्द्र सेठ द्वारा रख लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विकास जायसवाल उर्फ पोनू पुत्र प्रमोद जायसवाल निवासी म0नं0 एन 15/506 एफ 3 किरहिया जिवधीपुर थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष

2. अमन कुमार भारती पुत्र दिनेश कुमार भारती निवासी म0नं0 बी 22/275 आर किरहिया खोजवा अखाड़ा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद सोने की चेन, एक अदद मोबाईलफोन रेडमी वाई-3, एक अदद काले रंग का बैग व रू0 200/- नगद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास जायसवाल-

1. मु0अ0सं0 0081/2021 धारा 392/411 भादवि थाना भेलूपुर वाराणसी
2. मु0अ0सं0 0520/2020 धारा 392/411 भादवि थाना भेलूपुर वाराणसी
3. मु0अ0सं0 0056/2021 धारा 379/411 भादवि थाना भेलूपुर वाराणसी
4. मु0अ0सं0 0047/2019 धारा 392 भादवि थाना भेलूपुर वाराणसी
5. मु0अ0सं0 0543/2018 धारा 392 भादवि थाना भेलूपुर वाराणसी
6. मु0अ0सं0 0574/2018 धारा 392 भादवि थाना भेलूपुर वाराणसी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमन कुमार-

1. मु0अ0सं0 0081/2021 धारा 392/411 भादवि थाना भेलूपुर वाराणसी
2. मु0अ0सं0 0520/2020 धारा 392/411 भादवि थाना भेलूपुर वाराणसी
3. मु0अ0सं0 0056/2021 धारा 379/411 भादवि थाना भेलूपुर वाराणसी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 सहजानन्द श्रीवास्तव चौकी प्रभारी रेवडी तालाब भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
2. उ0नि0 प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी दुर्गाकुण्ड थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
3. उ0नि0 रवि यादव चौकी प्रभारी खोजवा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
4. हे0का0 सत्यप्रकाश थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ।
5. हे0का0 दिलशाद खाँ थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
6. कां0 विनीत सिंह थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
7. का0 सौरभ कुमार थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
8. का0 अरविन्द यादव थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
9. का0 विनोद कुमार थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 65/2021

दिनांक: फरवरी, 12/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 12.02.2021 को थाना कैण्ट में पंजीकृत मु0अ0सं0-291/2017 धारा-498(ए)/304(बी) भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण सन्दीप कुमार उर्फ लल्ला व प्रदीप उर्फ पप्पू पुत्रगण स्व0 रामकिशोर निवासीगण सोयेपुर पाण्डेयपुर थाना कैण्ट वाराणसी, स्थायी पता- लोहारी थाना तिन्दवारी जनपद बाँदा को मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे.-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व रू0-10,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 66/2021

दिनांक: फरवरी, 12/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 12.02.2021 को थाना मिर्जामुराद में पंजीकृत मु0अ0सं0-122/2013 धारा-376/342/506 भादवि व 6/8/17 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मू पटेल पुत्र लालजी निवासी चकपटेरवा थाना जंसा वाराणसी को मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एस0जे0 पाक्सो-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रू0-11,500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 12.02.2021 को थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-0083/2008 धारा-308/324/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू उर्फ सुनील शर्मा पुत्र विशाल शर्मा निवासी जे-6/34 बागेश्वरी देवी मन्दिर थाना जैतपुरा वाराणसी को मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व रू0-8000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 12.02.2021 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0031/2021 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अमित खरवार पुत्र मनोज कुमार खरवार निवासी शैलपुत्री नक्खीघाट थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष को शैलपुत्री मंदिर के गेट के पास से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अमित खरवार पुत्र मनोज कुमार खरवार निवासी शैलपुत्री नक्खीघाट थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 विजय कुमार, उ0नि0 मो0 अकरम, हे0का0 राकेश राय व का0 अखिलेश यादव थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 12.02.2021 को पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनहित/रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित निरीक्षक ना0पु0 को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया गया-

1. निरीक्षक नरेश कुमार – प्रभारी निरीक्षक रामनगर से निरीक्षक अपराध थाना मण्डुवाडीह
2. निरीक्षक वेद प्रकाश राय – पुलिस लाईन से प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर
3. निरीक्षक सिद्धार्थ मिश्रा – इन्वेस्टिगेशन विंग क्राइम ब्रांच से प्रभारी निरीक्षक थाना आदमपुर
4. निरीक्षक भूपेश कुमार राय – ज्ञानवापी सुरक्षा से प्रभारी निरीक्षक थाना सारनाथ
5. निरीक्षक दुर्गेश कुमार मिश्र – पुलिस लाईन से प्रभारी निरीक्षक थाना फूलपुर

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 12.02.2021 को थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0059/2021 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 से सम्बन्धित अभियुक्त अवधेश पाल (आरक्षी) पुत्र रामजीत पाल निवासी- कटघर सदर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ हाल पता- थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी को पहड़िया मण्डी गेट नं0 01 के सामने से समय लगभग 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अवधेश पाल (आरक्षी) पुत्र श्री रामजीत पाल निवासी- कटघर सदर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ हाल पता- थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 सुधीर कुमार सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर
02. उ0नि0 मनीष पाल थाना लालपुर पाण्डेयपुर
03. हे0का0 सनोज सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर
04. का0 चन्द्रेश कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर
05. का0 कर्मवीर सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

थाना लंका पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 118/2021 धारा 147/323/भा 3070द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त क्षितिज उपाध्याय, पंकज तिवारी, बेचू खान व आलोक पाण्डेय गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर एक अदद , कारतूस जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस बोर 32. बरामदा

आज दिनांक 12.02.को 2021 थाना लंका पुलिस को देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना लंका में पंजीकृत मु0सं0अ0 118/ धारा 2021 147/323/भा 3070द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण एक चार पहिया वाहन ईको स्पोर्ट संख्या BR44K 4136से नरिया तिराहा सुंदरपुर होते हुए डीएलडब्ल्यू की तरफ जा रहे हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना लंका पुलिस द्वारा बंगाल स्वीट हाउस के सामने सुंदरपुर में चैकिंग प्रारम्भ कर दी गयी। कुछ देर बाद उक्त वाहन आता हुआ दिखायी दिया जिसे पुलिस बल द्वारा रोककर चेक किया गया तो उक्त वाहन में चार युवक बैठे मिले जिन्हें वाहन से उतारकर नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम क्रमशः क्षितिज उपाध्याय पुत्र रामजी उपाध्याय, पंकज तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी, बेचू खान पुत्र बिश्मिल्ला खान व आलोक कुमार पाण्डेय पुत्र स्व भरत जी पाण्डेय 0बताया। जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त क्षितिज उपाध्याय पुत्र रामजी उपाध्याय निवासी शिक्षक कालोनी चरित्रवन थाना माडल टाउन जिला बक्सर बिहार के पास से एक अदद देशी पिस्टल .बोर 32, एक अदद कारतूस जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस .बोर बरामद हुआ 32।

पूछताछ विवरण-

बरामद पिस्टल व कारतूस के बारे में पूछा गया तो क्षितिज उपाध्याय ने बताया कि दिनांक 11-02-2021 को बी0एच0यू0 में हुयी मारपीट के दौरान इसी पिस्टल से मैंने मुकेश पाण्डेय के ऊपर फायर किया था खोखा कारतूस भी मैंने उठाकर जेब में रख लिया था। उक्त घटना में मेरे साथ पंकज तिवारी, आलोक कुमार पाण्डेय व बेचू खान भी थे।

पंजीकृत मुकदमा -

1. मु0अ0सं0 118/2021 धारा 147/323/307 भा0द0वि0।
2. मु0अ0सं0 0121/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम क्षितिज उपाध्याय उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. क्षितिज उपाध्याय पुत्र रामजी उपाध्याय निवासी शिक्षक कालोनी चरित्रवन थाना
माडल टाउन जिला बक्सर बिहारा
2. पंकज तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी निवासी कोरान सराय थाना कोरान सराय जिला
बक्सर बिहारा
3. बेचू खान पुत्र बिश्मिल्ला खान निवासी डुमरांव थाना डुमरांव जिला बक्सर बिहारा
4. आलोक कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० भरत जी पाण्डेय निवासी श्री दुर्गाधाम शक्तिपीठ
पोगाढ़ी थाना दिनारा बिहारा

बरामदगी -

- एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर, एक अदद कारतूस जिन्दा व एक अदद खोखा
कारतूस .32 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम: -

- उ०नि० श्री सूरज कुमार तिवारी, उ०नि० श्री दुर्गा प्रसाद यादव, उ०नि० मनीष
सिंह, उ०नि० जय प्रकाश सिंह, हे०का० अनिल सिंह, का० कन्हैया सरोज, का० चन्द्र
प्रकाश खरवार व का० राजू कुमार थान लंका वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन + 91-542-
2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 71/2021

दिनांक: फरवरी, 12/2021

प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 12.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 139 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 3417 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 781 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 131 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1083 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 शोहदे के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही व 81 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।